इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023—श्रावण 6, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. एफ 1-3-6-0005-2023-जीएडी-एक-01-(जीएडी).—माननीया न्यायाधिपति, श्री द्वारकाधीश बंसल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस., उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3285-(दो-1-3-2023) दिनांक 14 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 28 मई 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह प्रथम अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 389-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष के प्रथम विस्तार वर्ष में

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

दिनांक 10 से 11 जुलाई 2023 तक, कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 08-09 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत अहमदाबाद (गुजरात) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1.	श्री पवन कुमार जैन	—	स्वयं
2.	श्रीमती अंजुली जैन	—	पत्नी
3.	सुश्री गीतांजलि जैन	—	पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड, तथा नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. ई. एफ 1408032-2023-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 08-09 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में पेरिस, स्विटजरलैण्ड, एम्स्टर्डम, थाईलैण्ड एवं दुबई की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री गीतेश कुमार गर्ग, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्र. एफ 1(ए) 18-2021-ब-2-दो.—डॉ. प्रियंका मिश्रा, भापुसे, (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति केन्द्र शासन द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत परिवार सहित केरल की यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) अतः अवकाश यात्रा रियायत नियम, 1975 के नियम 12 के अंतर्गत पत्नी के साथ यात्रा करने पर श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु., भोपाल को सम्मिलित करते हुए इन्हें भी दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु., भोपाल का दिनांक 19 से 30 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 जून व 01-02 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. एफ 1(ए)92-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को दिनांक 24 से 26 जुलाई 2023 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त, (कानून व्यवस्था), नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2023

क्र. एफ 1-86-2014-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आलोक रंजन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबन्ध), पु. मु., भोपाल को दिनांक 24 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इन्डोनेशिया (जकार्ता एवं बाली) की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री डालूराम तेनीवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रबंध, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबन्ध), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)87-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन., भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1(ए)155-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मुकेश जैन, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 15 जुलाई 2023 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले भारत भ्रमण यात्रा सुविधा अंतर्गत केवडिया अहमदाबाद (गुजरात) की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री मुकेश जैन, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मुकेश जैन, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मुकेश जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 60-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 21 जुलाई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश

के लाभ के साथ उक्त अवधि में जम्मू-कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	श्री अमित सांघी	— स्वयं
2.	श्रीमती दीपा सांघी	— पत्नी
3.	डॉ. तनिशा सांघी	— पुत्री
4.	श्री आर्यमान सांघी	— पुत्र

(2) श्री अमित सांघी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विक्रम सिंह, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सांघी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 128-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शैलेश सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 जून 2023 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 24-25 व 29 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :—

1.	श्री शैलेश सिंह	— स्वयं
2.	श्रीमती सुनीता सिंह	— पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेश सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेश सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेश सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2023

फा. क्र. 2913-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा, 1973 (क्रमांक 02 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, डॉ. पदमा जैन, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इन्दौर को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, इन्दौर संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदावधि तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0130-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ.-सह आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2128-टी सी-15-भोपाल-उपां-नग्रानि-2023, भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूल बटांकन आदेश अनुसार खसरा क्रमांक	राजस्व अभिलेख में कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	शहर भोपाल (प्रोफेसर कॉलोनी	1382/2	2.091	1.350	1.350	आवासीय आमोद-प्रमोद के अंतर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण	वाणिज्यिक
				0.741	0.741		आमोद-प्रमोद के अंतर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण
2		1383/1	0.899	0.899	0.899	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
3		1383/3	0.127	0.127	0.127	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
4		1384	2.489	2.489	2.489	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
5		1385	0.474	0.474	0.474	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
6		1386/1	0.684	0.200	0.200	आवासीय	वाणिज्यिक
7		1386/3	0.977	0.977	0.977	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
8		1387/2	0.423	0.100	0.100	आवासीय	वाणिज्यिक
				0.323	0.323	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
9		1873/1383/1	0.632	0.632	0.632	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
10		1977/1383/2	0.025	0.025	0.025	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
	योग : —		8.821	8.821	8.337		

नोट —

आवेदित रकबा 8.821 हेकटेयर में से रकबा 0.484 हेक्टेयर का निर्दिष्ट भूमि उपयोग आवासीय होने के कारण शेष भूमि रकबा 8.337 हेक्टेयर में से रकबा 1.650 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक भूमि उपयोग रकबा 5.946 हेक्टेयर भूमि का सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में उपांतरण प्रस्तावित है एवं रकबा 0.741 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण यथावत रखा गया है.

शर्त —

1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विद्यमान छोटे तालाब के अधिकतम जलभराव क्षेत्र (एफ. टी. एल.) से भोपाल विकास योजना, 2005 की कंडिका क्रमांक 4.47 ए में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 33.00 मीटर भूमि खुले क्षेत्र के रूप में रखी जाना अनिवार्य होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा.
2. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के प्रस्ताव अनुसार रेतघाट से न्यू मार्केट मुख्य मार्ग के मध्य प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.
3. प्रश्नाधीन भूमि भोपाल विकास योजना, 2005 के उपनगर दो के अन्तर्गत स्थित है अतः भवन की ऊंचाई के संबंध में भोपाल विकास योजना , 2005 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2013 में ऊंचाई 18.00 मीटर संबंधी प्रावधान से परियोजना मुक्त रहेगी.
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रख जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
6. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0131-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ.-सह.-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2184-टी सी-14-भोपाल-उपां-नग्रानि-2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	राजस्व अभिलेख में कुल रकबा (हेक्टे. में)	आवेदित रकबा (हेक्टे. में)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	शहर भोपाल तहसील हुजूर (कलेक्ट्रेट परिसर पुराना सचिवालय).	106	7.2480	2.913	2.913		मिश्रित एवं मार्ग
				0.420	0.420		वाणिज्यिक एवं मार्ग
		107	0.4820	0.4820	0.4820		मिश्रित एवं मार्ग
		108	0.2290	0.2290	0.2290		मिश्रित एवं मार्ग
		1531/108	0.7360	0.220	0.220	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग
				0.376	0.376		मिश्रित एवं मार्ग
		कुल रकबा	8.695	4.640	4.640		
2	ग्राम कोहेफिजा तह. हुजूर जिला भोपाल (अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बैरागढ़).	87/1	0.4170	0.4170	0.4170		
		60/1/1/2	0.2150	0.2150	0.2150		
		72/1/2	0.1010	0.1010	0.1010	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		146/87/1/ख/1/1/2	0.2270	0.2270	0.2270		
	(अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शहर भोपाल).	87/2	0.2590	0.2590	0.2590		
		146/87/1/ख/1/1/3	0.4450	0.4450	0.4450	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
			1.6640	1.6640	1.6640		

शर्तें —

1. ग्राम कोहेफिजा स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शहर भोपाल की भूमि पर राजस्व अभिलेख, खसरा मानचित्र पर दर्शित मार्ग की भूमि के राजस्व अभिलेख में संशोधन कराना आवश्यक होगा.
2. कलेक्ट्रेट कार्यालय (पुराना सचिवालय) एवं अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालयों के मध्य स्थित भोपाल-इन्दौर मार्ग की चौड़ाई भोपाल विकास योजना 2005 में 60.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 30.00-30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.
3. प्रश्नाधीन भूमि भोपाल विकास योजना, 2005 के उपनगर दो के अन्तर्गत स्थित है अतः भवन की ऊंचाई के संबंध में भोपाल विकास योजना , 2005 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2013 में ऊंचाई 18.00 मीटर संबंधी प्रावधान से परियोजना मुक्त रहेगी.
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
6. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0128-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-2539-टी सी-18-शाजापुर-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 29 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित शाजापुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मगरिया तहसील शाजापुर जिला शाजापुर.	229/1	0.4480 हेक्टेयर में से 0.4395 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	मिश्रित एवं मार्ग
		229/2	0.2000 हेक्टेयर में से 0.1800 हेक्टेयर	आवासीय (आंशिक) तथा मार्ग.	
		योग . .	कुल रकबा 0.6480 हेक्टेयर में से 0.6195 हेक्टेयर		

शर्तें —

1. प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा में स्थित वर्तमान ए. बी. मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 36.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग मध्य से 18.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.
2. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण विकास अनुज्ञा के समय किया जावेगा.
3. स्थल के दक्षिण दिशा स्थित नाले के किनारे से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट चौड़ाई तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.

4. प्रश्नाधीन भूमि में से धार्मिक स्थल परिसर हेतु सुरक्षित भूमि रकबा 0.0085 हेक्टेयर में आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो.

5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को काटने के पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

6. उपरोक्त उपांतरण शाजापुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0129-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, वि. क. अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-2464-टी सी-126-ग्वालियर-उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 19 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम/तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महलगांव तहसील सिटी सेन्टर जिला ग्वालियर (पुराना आरटीओ परिसर पड़ाव चौराहा).	349 का भाग	0.3660 हेक्टेयर में से 0.1933 हेक्टेयर	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग.
		योग . .	कुल रकबा 0.3660 हेक्टेयर में से 0.1933 हेक्टेयर		

शर्तें —

1. उक्त आवासीय गतिविधियाँ हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं ग्वालियर विकास योजना, 2035 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.

2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई ओव्हर ब्रिज सहित ग्वालियर विकास योजना, 2035 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अत: रोड ओव्हर ब्रिज के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमि तक न्यूनतम 7.50 मीटर चौड़े सेवा मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.

4. उपरोक्त उपांतरण ग्वालियर विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 27 जून 2023

प्ररूप ''घ''
(नियम 6 देखिए)

क्र. 1258-भू-अर्जन-2023, राजस्व प्रकरण क्रमांक 0011/अ-82/2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2268-वा. 1-री-2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम-जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम जामरा, प. ह. नं.-52, तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	जामला/52	82/3	0.020
			82/1	0.041
			80/1	0.006
			80/2	0.032
			78/3	0.018
			79/5	0.022
			79/4	0.047
			77/1/3	0.051
			77/1/1	0.005
			75/7	0.027
			62	0.094
			52/2	0.048
			54/1	0.017
			33/3/2/1	0.013
			33/3/2/2	0.018
			33/2	0.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			32/2	0.026
			29/2	0.030
			29/3	0.037
			30	0.028
			27	0.006
			26	0.006
			25/1	0.028
			6/2	0.035
			6/4	0.017
			6/1	0.003
			13/2	0.059
			13/5	0.030
			12/2	0.010
		योग . .	30	0.797

प्ररूप ''घ''

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1264-रीडर-1-2023, राजस्व प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2267-वा. 1-री-2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम-जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बावरचा, प. ह. नं.-52, तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	बावरचा	138	0.027
		योग . .	01	0.027

प्ररूप ''घ''

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1270-रीडर-1-2023, राजस्व प्रकरण क्रमांक 0015/अ-82/2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2265-वा. 1-री-2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम-जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम लोहारी, प. ह. नं.-52, तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	लोहारी/52	9/4	0.018
			9/3	0.022
			9/2	0.014
			9/1	0.026
			10/3	0.008
			10/2	0.008
			10/1	0.011
			11/1	0.034
			11/3	0.018
			11/5	0.017
			11/4	0.030
			15/2	0.023
			20/2	0.021
			20/5	0.011
			20/4	0.020
			20/3	0.034
			19/1/2/1	0.030
			19/1/1	0.030
			19/2/1	0.005
			22/3	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19/1/1	0.015
			19/1/2/1	0.016
			19/2/1	0.014
			19/2/2	0.002
		योग . .	24	0.431

प्ररूप ''घ''

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1261-रीडर-1-2023, राजस्व प्रकरण क्रमांक 0014/अ-82/2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2269-वा. 1-री-2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम-जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम गुजारी, प. ह. नं.-52, तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	गुजारी/52	298/1	0.009
			298/2	0.064
			298/3	0.015
			302/2	0.024
			304	0.002
			307/2	0.014
			307/1	0.020
			306/2	0.009
			306/1	0.018
			323/1	0.029
			277/3	0.040
			276/2	0.019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			276/1	0.032
			275	0.009
			272	0.025
			271	0.002
			270	0.018
			268	0.006
			266	0.008
			252/4	0.037
			252/5	0.038
			297/5	0.016
			252/6	0.009
			252/7	0.012
			255/4	0.005
			257	0.005
			220/1	0.046
			220/2	0.044
			221/1	0.023
			221/2	0.025
			305	0.007
			277/1	0.014
			250/3	0.017
			297/5	0.017
			221/3	0.031
			208/1	0.029
			206/1	0.039
			110/385	0.010
			98	0.020
			106	0.057
			103	0.018
			104	0.016
			94/1	0.015
			92/2	0.023
			92/1	0.015
			29/5	0.027
			29/4	0.008
			19	0.026
			27	0.025
			21	0.021
			26/1	0.021
			107/1	0.002
			90/1	0.007
			272	0.022
			141	0.017
			142	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			144/2	0.014
			144/1	0.013
			129/1	0.007
			145/2	0.012
			145/1	0.012
			148/4	0.028
			148/3	0.017
			111/2	0.023
		कुल योग . .	64	1.269

प्ररूप ''घ''

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1267-रीडर-1-2023, रा. प्र. क्रमांक 0013/अ-82/2022-23.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2266-वा. 1-री-2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम-जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन, जिला खरगोन से निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बलखड बुजुर्ग, प. ह. नं.-53, तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	बलखड बुजुर्ग/52	21	0.003
			23/2	0.016
			20	0.029
			19/1	0.009
			28	0.003
			27	0.013
			35/1	0.009
			35/2	0.011
			35/3	0.014
			35/8	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			35/11	0.020
			35/9/2	0.017
			36/2	0.002
			38/1	0.002
			41/2	0.047
			42/2	0.031
			43/2	0.028
			43/5	0.011
			43/7	0.016
		कुल योग . .	19	0.288

कसरावद, दिनांक 28 जून 2023

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1303-भू-अर्जन-2023, रा. प्र. क्र. 0002/अ-82/2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्‌वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-बिलवा, प. ह. नं.-20, रा. नि. मं.-01, कसरावद, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	ग्राम-बिलवा,	85/3	0.018
		प. ह. नं.-20,	85/2	0.021
			85/4	0.007
		कुल योग . .	03	0.046

अग्रिम कुमार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 12 मई 2023

प्ररूप ''ख''
[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1696-रीडर-1-2023, क्रमांक 0013/B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्‌वहन माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-1, ग्रेविटी मेन-2 एवं ग्रेविटी मेन-2 की ब्रांच माईनर आर. एम.-4 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-नलवट, प. ह. नं.-18, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-नलवट, प. ह. नं.-18,	157	0.022
				0.008
			153	0.008
			152/2/1	0.008
			152/1	0.005
			151	0.038
			111	0.015
			146	0.030
				0.017
			100	0.008
				0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			131	0.006
			123	0.021
			56	0.003
			55	0.007
			110	0.004
			109	0.012
			99	0.005
			98	0.002
			91	0.010
			103	0.011
			104	0.010
			106/1	0.008
			106/2	0.004
			107	0.011
			108	0.011
			43	0.022
			42	0.014
			51	0.008
			50	0.007
			37	0.024
			160	0.003
			159	0.012
			92	0.015
			90	0.013
			89	0.007
		कुल योग . .	33	0.412

प्ररूप ''ख''

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1699-रीडर-1-2023, क्रमांक 0011/B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्‌वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन/डी.आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-आरसी (मिर्जापुर), प. ह. नं.-12, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बड़वाह, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-आरसी,	224	0.007
		(मिर्जापुर),	225/2	0.002
		प. ह. नं.-12,	223/1	0.003
			223/3	0.004
			372/3	0.004
			371/1	0.007
			362/6	0.007
			362/2	0.006
			362/7	0.006
			362/1	0.007
			342	0.015
			341/2	0.007
			375/1	0.011
			375/5	0.004
			376/1	0.001
			376/6	0.007
			377/2	0.011
			355/2	0.010
			355/3	0.013
			354/2	0.022
			218	0.006
		योग . .	21	0.160

प्ररूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र. 1702-रीडर-1-2023, क्रमांक 0012/B-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन/डी.आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामन्या, प. ह. नं.-19, तहसील-सनावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	सनावद	ग्राम-जामन्या,	22/4/1	0.002
		प. ह. नं.-19,	22/5	0.004
			43/1	0.007
			41/1	0.004
			41/2	0.002
			51/2	0.006
			59/1	0.002
			59/4	0.002
			59/5	0.002
			28/4	0.005
			33/2	0.009
			34/1	0.006
			34/6	0.002
			51/3	0.004
			5/1	0.007
			6/16	0.012
			6/15	0.003
			6/4	0.008
			6/22	0.004
			6/13	0.001
			6/8	0.005
			6/27	0.002
			6/9	0.003
			6/30	0.003
			8/1	0.010
			8/2	0.007
			11/1	0.005
			11/2	0.007
			11/3	0.003
			25	0.004
			26/7	0.014
		योग . .	31	0.155

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–173–भू–अर्जन–2023 नरसिंहपुर, दिनांक 26 जून 2023

प्ररूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन

रा0मा0 क. 01/अ–82/2021–22 मौजा ग्राम– बोहानी प.ह.नं.– 16 तहसील– गाडरवारा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 1.378 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड है, जो 0.364 हेक्टेयर है ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम – बोहानी तह0 गाडरवारा नं.बं. प.ह.नं. 16

क्र. सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे0 में)
1	साधूराम वल्द बैजनाथ कौरव सा. कजरोटा	786/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.364
	कुल				0.364

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू– अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।

3. कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों मे से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

4. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।

5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

क्र.–231–भू–अर्जन–2023 नरसिंहपुर, दिनांक 19 जुलाई 2023

रा0मा0 क. 07/अ–82/2023–24 मौजा ग्राम–ढाना प.ह.नं.–4/13, नं.बं. 230 तहसील– नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची–1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रकिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :–

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु।

2. भूमि का विवरण
   1. जिला : नरसिंहपुर
   2. तहसील : नरसिंहपुर
   3. ग्राम : ढाना
   4. प.ह.न. : 4/13
   5. नं.बं. : 230
   6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 1.425 हे.

अनूसूची 2

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं0	अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1	अशोक पिता गोविन्द सिंह लोधी सा.सा.झामर	भूमि स्वामी	9/7/1	0.160
2	फूलवती बाई पत्नि गोविन्द सिंह लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	9/7/2	0.200
3	नूर मोहम्मद पिता अमीन खां बहना सा.झामर	भूमि स्वामी	9/13/1	0.110
4	नसरीम खां पिता नूर मोहम्मद खां सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	9/13/2	0.080
5	नबाब खां पिता नूर मोहम्मद खां सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	9/13/3	0.050
6	बाबूलाल टाबलसिंह खेलनसिंह प्रकाश नन्हू मनको पिता श्यामलाल चमार सा.झामर	भूमि स्वामी	9/12	0.607
7	छततरसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	1/2, 9/2	0.154
8	नन्हेलाल वल्द हरिसिंह लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	2, 3	0.064
	कुल योग			**1.425**

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ भोपाल दिनांक –एफ 16–15(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.–233–भू–अर्जन–2023

राЮमाЮ क. 09/अ–82/2023–24 मौजा ग्राम– जोतखेडा प.ह.नं.–2/5 न0ब0 197 तहसील–नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची–1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रकिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :–

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण
   1. जिला : नरसिंहपुर
   2. तहसील : नरसिंहपुर
   3. ग्राम : जोतखेडा
   4. प.ह.न. : 2/5
   5. नं0बं0 197
   6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.988 हे.

अनूसूची 2

क्र0	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं0	अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1.	कृष्ण दास गुलाब कलार सा.देह	भूमि स्वामी	231/4	0.020
2.	श्यामबाई पत्नि प्यारेलाल कलार सा.देह	भूमि स्वामी	231/3	0.004
3.	रानो बाई वेवा चन्द्रशेखर यश आयुष ना.वा. पिता चन्द्रशेखर वली दादा हेमराज आ. भोपत सा.देह	भूमि स्वामी	232/1	0.020
4.	तुलसीराम वल्द जुगलकिशोर राय निवासी केरपानी	भूमि स्वामी	232/2	
5.	रामलाल आ. अन्नीलाल कहार सा.देह	भूमि स्वामी	233/1/1	0.020
6.	सुरेश आ. अन्नीलाल कलार सा.देह	भूमि स्वामी	233/1/2	0.020
7.	बैजन्ती बाई पत्नि स्व. जमना प्रसाद कलार सा.देह	भूमि स्वामी	233/3	0.040
8.	दशरथ वल्द स्व. जमना प्रसाद कलार सा.देह	भूमि स्वामी	233/4	0.050
9.	प्रमोद वल्द वीरेन्द्र कुमार कलार सा.देह	भूमि स्वामी	233/5	0.030
10.	रामदर्शन वल्द परषोत्तम ब्रा.सा. डोंगरगांव	भूमि स्वामी	236/1	0.210
11.	रामाधार वल्द विष्णु प्रसाद ब्रा. सा. डोंगरगांव	भूमि स्वामी	236/2	0.230
12.	सर्वेश कुमार वल्द रामदर्शन ब्रा. सा. देह	भूमि स्वामी	238/1 248/1	0.096 0.005
13.	परषोत्तम वल्द लालजी प्रसाद ब्रा. सा. डोंगरगांव	भूमि स्वामी	238/2/1	0.093

14.	सरोज पत्नि रामदर्शन शर्मा जाति ब्रा. सा. डोंगरगांव	भूमि स्वामी	238/2/2 248/2/2	0.093 0.005
15.	सोमतबाई द्रोपतीबाई पुत्री धनीराम रेवाबाई प्रीतिबाई नीमाबाई पिता रामसिंह दलीप राजा पिता रामसिंह जमनाबाई वेवा सुम्मेर देवेन्द्र सुम्मेर गौड सा.देह	भूमि स्वामी	247	0.052
	कुल योग			0.988

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ भोपाल दिनांक –एफ 16–15(7)–2014–सात–शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–क–भू–अर्जन–2023–2277 दमोह, दिनांक 6 जुलाई 2023

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12–2–2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू–धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू–अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रमपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण।

ग्राम का नाम : हटरी – रकबा 0.24 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा कमांक	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा हेक्टे.में	अन्य सम्पत्ति
	हटरी				
1	श्री गोविंद सिंह पिता मेघराज सिंह	436	0.72	0.04	
2	श्री इन्द्र प्रताप सिंह पिता मेघराज सिंह	438	0.36	0.04	
3	श्री गोविंद सिंह पिता मेघराज सिंह	439	0.42	0.02	
4	श्री बाबूलाल पिता गंगाराम	449/1	0.25	0.08	
5	श्री लखन पिता गुलाब, जानकी बाई, गेंदाबाई, राधा बाई, तारा बाई पुत्री गुलाब	446/1	0.22	0.02	
6	श्री रामचंद्र पिता भंते दमोह	445	0.3	0.02	
7	श्री राजू, सुखलाल, बिहारी, मांगू, दुज्जी पिता ढोकी, जीराबाई/ढोकी	444	0.35	0.02	
	योग –		**2.62**	**0.24**	

क्र.–क–भू–अर्जन–2023–2278

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12–2–2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू–धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू–अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रमपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण।

ग्राम का नाम : कनियाघाट पटी – रकबा 0.24 हे.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा हेक्टे.में	अन्य सम्पत्ति
	कनियाघाट पटी				
1	अनिल कुमार पिता प्रकाश चंद जैन सा. अभाना	289	0.24	0.01	
		387	0.08	0.02	
2	उजयार सींग पिता परमू सींग	270/1	0.03	0.005	
3	डेलन सींग पिता परमू सींग	270/2	0.03	0.005	
4	सोने सींग पिता परमू सींग	270/3	0.03	0.005	
5	मोहन सींग पिता परमू सींग	270/4	0.03	0.005	
6	मंगोबाई पति गोपी सींग	405/1	0.64	0.03	
		411/1	0.38	0.02	
7	मुन्ना लाल पिता सुन्दर लाल काछी	295	0.15	0.05	
8	नितिनसिंह नाबालिक पुत्र कोदूसिंह संरक्षक बली मां श्यामबाई	411/2	0.18	0.03	
9	जवाहर सींग पिता शिव सींग	409/2	0.19	0.01	
10	बद्री सींग पिता भगवान सींग उर्फ भगुंत सींग	418/3	0.48	0.05	
	योग –		**2.46**	**0.24**	
12	मेघराज सींग, महेश सींग पिता मंगल सींग प्रेमबाई/मंगलसींग	292	0.17	0.02	
13	फूलसिंह लोधी पिता दौलत सिंह	249/1/2	0.28	0.03	
	योग –		**4.06**	**0.33**	

क्र.–क–भू–अर्जन–2023–2279

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12–2–2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू–धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू–अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रगपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण।

ग्राम का नाम : बरखेड़ा भाट – रकबा 0.17 हे.

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा हेक्टे.में	अन्य सम्पत्ति
	बरखेड़ा भाट				
1	उमाशंकर पिता कालूराम यादव	112/2	0.17	0.02	
2	ताराचंद पिता मंहगूलाल राय अभाना	180/3	0.6	0.06	
3	मीराबाई, सियाबाई पिता छिद्दीलाल सीमाबाई पति आलोक कुमार	180/1	0.68	0.04	
4	कैकईबाई बेवा मलखान सींग लोधी	178/1/1	0.16	0.05	
	योग –		**1.61**	**0.17**	

क्र.–क–भू–अर्जन–2023–2280 दमोह, दिनांक 6 जुलाई 2023

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12–2–2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र.राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू–धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकम/लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू–अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रमपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख" में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण।

ग्राम का नाम : निमुआपटी – रकबा 0.04 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.	भूस्वामी का नाम पिता का नाम	खसरा कमांक	कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित रकबा हेक्टे.में	अन्य सम्पत्ति
	निमुआपटी				
1	नाथूराम पिता मन्नूलाल अहिरवार	163	1.52	0.03	
2	तांतू पिता रामकुंवर अद्या	160/8	0.04	0.01	
	योग –		1.56	0.04	

मयंक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.–4395–भू–अर्जन–2023

प्ररूप–क
(नियम–4 देखिए)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2023

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम/वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा–04 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाडा
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	रोहनाकला–बिंदरई–सटोटी मार्ग लम्बाई 06.00 कि0मी0 निर्माण हेतु
3	अध्ययन का कार्य हाथ मे लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1. श्रीमति ज्योति ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर जिला छिन्दवाडा 2. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं0–2 छिन्दवाडा 3. उपवन मण्डलाधिकारी पश्चिम वन मंडल परिक्षेत्र सांवरी तहसील मोहखेड़ 4. श्री जय सक्सेना सरपंच ग्राम पंचायत रोहनाकला प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्ति 5. श्री शिवरेस सिंह पटेल सरपंच ग्राम पंचायत बिंदरई, तहसील मोहखेड़
4	भूमि के विवरण	
(क)	जिला–	छिन्दवाडा
(ख)	तहसील–	मोहखेड
(ग)	ग्राम–	बिन्दरई
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र–	01.446 हेक्टेयर
(ड.)	अर्जित होने वाला क्षेत्र–	खसरा नं0–256/1, 260, 255, 259/5, 253/1, 252, 231, 232/1, 229/2, 228/4, 228/3, 228/2, 228/1, 225/3, 224/1, 77, 223/1, 220, 161, 239/2, 164, 49, 50/5, 50/3, 50/6, 54/4, 54/6, 54/11, 68, 74, 76, 240/1, 238/3, 237/3, 237/1, 234/1, 234/2, 232/2, 262, 261/2, 261/1/1, 261/1/2, 259/1 में सें कुल रकबा 01.446 हेक्टेयर
5	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	रोहनाकला–बिंदरई–सटोटी मार्ग लम्बाई 06.00 कि0मी0 निर्माण हेतु
6	परियोजना का क्षेत्र एवं प्रभावित क्षेत्र	परियोजना का क्षेत्र–01.446 हेक्टे0 प्रभावित क्षेत्र–01.446 हेक्टे0
7	क्या ग्राम सभा एवं भूमि धारकों की सहमति अपेक्षित है।	नही
8	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण कराने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन के छः माह के भीतर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 जुलाई 2023

क्र.–542–भू–अर्जन–2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला रीवा (म0प्र0) (ख) तहसील हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम **चोरहटा** (घ) लगभग क्षेत्रफल **0.747 हे0**

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
1	668/1	0.024
2	668/2	
3	668/3	
4	541	0.074
5	545/1	0.030
6	545/2/1	
7	545/2/2	
8	545/2/3	
9	545/3/1	
10	545/3/2	
11	545/3/3	
12	1212/563/1/1/1	0.035
13	1212/563/1/1/2	
14	1212/563/1/2/1	
15	1212/563/1/2/2	
16	1212/563/1/3	
17	1212/563/1/4	
18	1212/563/2/1	
19	1212/563/2/2	
20	557	0.046
21	552/1	0.131
22	552/2	

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
23	552/3	
24	552/4	
25	651/1/1	0.235
26	651/1/2	
27	651/2/1	
28	651/2/2/1	
29	651/2/2/2	
30	650/1/1	0.014
31	650/1/2	
32	650/1/3	
33	650/2/2/1	
34	650/2/1	
35	650/2/2/2	
36	650/2/2/3	
37	555/1/1	0.016
38	555/1/2	0.020
39	536/1/1	0.006
40	536/1/2	
41	536/1/3	
42	536/2	
43	566/1	0.020
44	566/2	
45	566/3	
46	627/1	0.005
47	627/2/1	
48	627/2/2/1	
49	627/2/2/2	
50	627/3	
51	629/1	0.037
52	629/2	
53	632/1/1	0.040
54	632/1/1/1	
55	632/1/2	
56	632/2	
57	632/3	
58	636	0.010
59	630	0.004
कुल योग- 59 किता रकवा 0.747 हे		

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–543–भू–अर्जन–2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला **रीवा** (म0प्र0) (ख) तहसील हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम **उमरी** (घ) लगभग क्षेत्रफल **2.834 हे0**

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
1	309/2/1/1	0.010
2	309/2/1/1/1	0.039
3	309/2/1/2	0.039
4	309/2/2	0.040
5	309/2/3	0.016
6	309/3	0.028
7	309/4/1	0.025
8	309/4/2	0.032
9	309/5	0.010
10	309/6/1	0.029
11	309/6/2	0.033
12	309/6/3	0.033
13	309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2	0.018
14	309/7/1/1/1/1/1/2	0.018

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
15	309/7/1/1/1/1/1/3	0.018
16	309/7/1/1/1/1/1/5	0.018
17	309/7/1/1/1/1/1/6	0.018
18	309/7/1/1/1/1/1/7	0.018
19	309/7/1/1/1/1/1/8	0.018
20	309/7/1/1/1/1/1/9	0.018
21	309/7/1/1/1/1/1/4	0.018
22	309/7/1/1/2	0.040
23	309/7/1/3	0.014
24	309/7/2/1	0.033
25	309/7/2/2	0.035
26	309/8	0.007
27	309/9	0.018
28	352/1/1	0.027
29	352/1/2	0.158
30	352/1/3	0.158
31	352/2/1	0.105
32	352/2/2	0.158
33	352/3	0.053
34	352/4	0.105
35	352/2/3	0.048
36	352/5	0.026
37	352/6	0.026
38	352/7	0.026
39	352/8	0.026
40	352/9/1	0.005
41	352/9/2	0.005
42	352/9/3	0.005
43	352/9/4	0.005
44	352/9/5	0.007
45	155/1/1	0.181
46	320/1	0.417
47	315/2/2	0.013
48	315/3	0.049
49	316	0.004
50	359/1	0.140
51	319/2	0.223
52	320/2/1	0.114
53	320/2/2	
54	300	0.107
कुल योग- 54 किता रकवा 2.834 हे0		

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–544–भू–अर्जन–2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क)	जिला	रीवा (म0प्र0)	(ख)	तहसील	हुजूर नगर
(ग)	नगर/ग्राम	**पतेरी**	(घ)	लगभग क्षेत्रफल	**3.261 हे0**

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
1	5	0.250
2	21	0.101
3	22	0.231
4	23	0.178
5	24	0.198
6	25	0.040
7	26	0.050
8	27	0.070
9	29	0.085
10	30	0.085
11	31	0.077
12	33	0.180
13	35	0.513
14	36	0.370
15	37	0.046
16	45	0.240
17	50	0.077
18	28/1	0.198
19	28/2	0.199
20	32	0.073
कुल योग- 20 किता रकवा 3.261 हे0		

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.–545–भू–अर्जन–2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला रीवा (म0प्र0) (ख) तहसील हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम **अगडाल** (घ) लगभग क्षेत्रफल **1.737 हे0**

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
1	644	0.002
2	638	0.053
3	782	0.113
4	785/1	0.047
5	783	0.040
6	784	0.040
7	785/2	0.047
8	785/3	0.048
9	754/1	0.227
10	693/1	0.040
11	709/1	0.061
12	747/1	0.014
13	747/2/1	0.013

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हे0 में)
14	744/2	0.020
15	743	0.017
16	741	0.010
17	728	0.039
18	726	0.002
19	725	0.016
20	724	0.039
21	716	0.011
22	634/1/1	0.018
23	634/1/2	
24	634/1/3	
25	635/1	0.031
26	640/1/1	0.003
27	640/2/1	
28	641/1	0.002
29	643/1	0.006
30	768/1	0.081
31	768/2	0.165
32	768/5	0.257
33	780	0.255
34	779	0.020
कुल योग- 34 किता रकवा 1.737 हे0		

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।

भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.—541—भू—अर्जन—2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला रीवा (म0प्र0) (ख) तहसील हुजूर नगर

(ग) नगर/ग्राम चोरहटी (घ) लगभग क्षेत्रफल **3.683** हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
1	152/1/2	0.065
2	152/1/1/1	
3	152/1/1/2	
4	152/1/3/1/1	
5	152/1/3/1/2	
6	152/1/3/2	
7	152/2	
8	152/3	
9	153/1/5	0.050
10	160/1/2	0.202
11	160/2/2	0.048

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकवा (हेक्टेयर में)
12	161/1	0.011
13	161/2	0.032
14	162/2	0.142
15	173/4/1	0.078
16	173/4/2	
17	173/4/3	
18	173/4/4	
19	173/4/5	
20	174	0.004
21	175/1	0.140
22	175/2	
23	177/2	0.152
24	196/1/2	0.070
25	197	0.680
26	198/1	0.051
27	198/2	0.034
28	199/1	0.037
29	199/2	
30	199/3	
31	200/1	0.113
32	200/2/1/1	0.900
33	200/2/1/2	
34	200/2/2	
35	200/2/3	
36	200/2/4	
37	200/2/5	
38	200/2/6	
39	200/2/7	
40	200/3	0.255
41	204/2	0.004
42	205	0.379
43	206	0.008
44	207	0.016
45	208/1	0.040
46	208/2	
47	209/2/1	0.172
48	209/2/2	
कुल योग- 48 किता रकवा 3.683 हे0		

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–169–भू–अर्जन–2023 देवास, दिनांक 7 जुलाई 2023

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक–1 में आई.एस.पी.–पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कं–2 के निर्माण के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है– सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि आई एस.पी.–पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कं.–2 के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है :– अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है –

अनुसूची-1

ग्राम– उमरिया तहसील– खातेगांव

क	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	आई.एस.पी.–पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कं–2 के निर्माण	22.75	0	1.824

अनुसूचि-2

आई.एस.पी.–पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक –2 के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम उमरिया तहसील खातेगांव की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम– उमरिया तहसील–खातेगांव

क्र	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्र	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रामभरोस उगरा	275/4	5.3300	-	5.3300	0.423	-	0.423
2	श्री रामदीन उगरा	275/2	0.800	-	0.800	0.108	-	0.108
3	श्री जगदीश उगरा	274	5.2900	-	5.2900	0.333	-	0.333
4	श्री रामभरोस पिता कोदर	273/1/1	2.4400	-	2.4400	0.156	-	0.156
5	विजयसिंह, उदमसिंह पिता कूबरसिंह, अगरसंह, करणसिंह, पारवतीबाई पिता निर्भयसिंह, हरीसिंह, पर्वतसिंह सुमनसिंह रामकुवरबाई पिता अभयसिंह	271/1	1.4900	-	1.4900	0.120	-	0.120
6	श्री सुमरासिंह पिता सावलासिंह	272	2.6900	-	2.6900	0.140	-	0.140
7	श्री विजयसिंह अर्जुनसिंह	319/2	1.7600	-	1.7600	0.174	-	0.174
8	श्री देवीलाल पिता रामदीन जाति जाट	132	2.000		2.000	0.180		0.180
9	श्रीमती पार्वतीबाई पति रामदीन जाट	129	0.9500	-	0.9500	0.190	-	0.190

क्र.–177–भू–अर्जन–2023 देवास, दिनांक 19 जुलाई 2023

[अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]

––00––

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ आई. एस. पी.–पार्वती फेज I & II सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम झाबरिया तहसील सतवास जिला देवास में भूमि कुल रकबा 0.280 हे. अपेक्षित है अर्थात इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खंड हैं, जो 0.280 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम झाबरिया तहसील सतवास जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :–

क्रं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	501	निजी	सिंचित	0.180 हे.	रेवाराम पिता स्व. बाबूलाल, परसराम, सोदराबाई, प्रयागबाई, प्रेमबाई, बसकरबाई पिता स्व. बाबूलाल ,निमीबाई, बेवा केवलराम, राजेश, सुनिता पिता केवलराम सभी जाति गुर्जर निवासी खिरोदा कृषक झाबरिया।
2	535	निजी	सिंचित	0.100 हे.	श्री हरिओम श्रीकृष्ण निवासी झाबरिया

वृक्ष	
किस्म	संख्या
0	0

संरचना	
प्रकार	एरिया
निजी कृषि भूमि	0.280

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

ग्राम झाबरिया तहसील सतवास जिला देवास क्षेत्र 0.280 हे. में।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ. 6-0007-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इन्दौर जिले के तहसील देपालपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील बेटमा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तहसील देपालपुर (मुख्यालय देपालपुर).	तहसील देपालपुर के राजस्व निरीक्षक, वृत्त 3, बेटमा के प. ह. नं. 068 से 85 तक के 18 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक, वृत्त 4, रंगवासा के प. ह. नं. 112 से 118 कुल, 25 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	देपालपुर	तहसील देपालपुर के रा. नि. वृत्त 1, गौतमपुरा के प. ह. नं. 1 से 22 तक के 22 हल्के, रा. नि. वृत्त 2, देवालपुर के प. प. ह. नं. 30 से 40 व 42 से 44 तथा 89 से 95 तक के 21 हल्के तथा रा. नि. वृत्त 4 के प. ह. नं. 96 से 111 तक के 16 हल्के कुल 59 हल्के पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे.	**उत्तर में**—तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन. **पूर्व में**—तहसील सांवेर एवं तहसील हातोद, जिला इन्दौर. **दक्षिण में**—प्रस्तावित तहसील बेटमा. **पश्चिम में**—तहसील बदनावर एवं तहसील धार, जिला धार.
2.	—	—	बेटमा	तहसील देपालपुर के राजस्व निरीक्षक, वृत्त 3, बेटमा के प. ह. नं. 068 से 85 तक के 18 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त 4, रंगवासा के प. ह. नं. 112 से 118, कुल 25 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	**उत्तर में**—तहसील देपालपुर एवं तहसील हातोद. **पूर्व में**—तहसील राउ, जिला इन्दौर. **दक्षिण में**—तहसील पीथमपुर, जिला धार. **पश्चिम में**—तहसील धार एवं तहसील पीथमपुर, जिला धार.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

क्र. F. Rev. 6-0014-2023-Sec-7-सात.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, डिण्डौरी जिले के अनुविभाग डिण्डौरी की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग बजाग का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अनुविभाग डिण्डौरी (मुख्यालय डिण्डौरी).	तहसील बजाग के 80 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	डिण्डौरी	तहसील डिण्डौरी के कुल 157 पटवारी हल्के उपखण्ड डिण्डौरी में शेष रहेंगे.	**उत्तर में**—तहसील नौरोजाबाद एवं पाली, जिला उमरिया. **पूर्व में**—तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी एवं तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर. **दक्षिण में**—तहसील बिछिया, जिला मण्डला एवं तहसील कवर्धा, तहसील पंडरिया (छ. ग.) **पश्चिम में**—तहसील शहपुरा, जिला डिण्डौरी एवं तहसील घुघरी, जिला मण्डला.
2.	—	—	अनुविभाग बजाग (मुख्यालय बजाग).	तहसील बजाग के कुल 80 पटवारी हल्के उपखण्ड बजाग में समाविष्ट होंगे.	**उत्तर में**—तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर. **पूर्व में**—तहसील पेण्ड्रा (छ. ग.). **दक्षिण में**—तहसील पंडरिया एवं तहसील लोरमी (छ. ग.). **पश्चिम में**—तहसील डिण्डौरी.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. एफ. 01-02-2020-सात-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार वर्तमान उज्जैन एवं रतलाम जिलों की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन जिला नागदा सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्रमांक	विद्यमान जिले का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला उज्जैन (मुख्यालय उज्जैन).	जिला उज्जैन की तहसील नागदा एवं तहसील खाचरौद का सम्पूर्ण क्षेत्र अपवर्जित होगा.	जिला उज्जैन (मुख्यालय उज्जैन).	जिला उज्जैन में तहसील उज्जैन नगर, उज्जैन, कोठी महल, घटिया, तराना, महिदपुर, बड़नगर, झारड़ा एवं माकड़ोन तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा.	**पूर्व में**—जिला शाजापुर **पश्चिम में**—जिला रतलाम **उत्तर में**—प्रस्तावित जिला नागदा. **दक्षिण में**—जिला इन्दौर.
2.	जिला रतलाम (मुख्यालय रतलाम).	जिला रतलाम की तहसील आलोट एवं तहसील ताल का सम्पूर्ण क्षेत्र अपवर्जित होगा.	जिला रतलाम (मुख्यालय रतलाम).	जिला रतलाम में तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सैलाना, रावटी, बाजना, जावरा एवं पिपलोदा तहसीलों का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा.	**पूर्व में**—जिला उज्जैन एवं प्रस्तावित जिला नागदा. **पश्चिम में**—जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान). **उत्तर में**—जिला मंदसौर **दक्षिण में**—जिला धार.
3.	—	—	जिला नागदा (मुख्यालय नागदा).	जिला नागदा में वर्तमान जिला उज्जैन की तहसील नागदा एवं तहसील खाचरौद तथा वर्तमान जिला रतलाम की तहसील आलोट एवं तहसील ताल का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा.	**पूर्व में**—जिला उज्जैन **पश्चिम में**—जिला रतलाम **उत्तर में**—जिला मंदसौर एवं जिला झालावाड़ (राजस्थान). **दक्षिण में**—जिला उज्जैन.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2023

क्र. A-3755-दो-2-38-2022.—श्री पदमेश शाह, अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3758-दो-2-32-2023.—श्री संजीव कुमार गुप्ता, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 मई 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. B-4477-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 11 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2023

क्र. B-4283-दो-2-51-2020.—श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-III) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-III) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J-III) के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-4285-दो-2-68-2022.—श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2023

क्र. D-2818-दो-2-13-2010.—श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता,उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातें तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4327-दो-2-38-2020.—श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2820-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 3 से 8 जुलाई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. B-4475-दो-2-21-2019.—श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 मई से 9 जून 2023 तक, कुल पन्द्रह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 25 मई 2023 तक, कुल सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखन लाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2914-दो-2-50-2015.—श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 जुलाई 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2916-दो-2-32-2018.—श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 3 से 8 जुलाई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2918-दो-2-117-2017.—श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 1 से 8 जुलाई 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. B-4539-दो-2-59-2016.—श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्याायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4543-दो-2-42-2022.—श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 21 जून 2020 से 20 जून 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-2945-दो-3-420-80-भाग-बारह.—सुश्री साधना माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार सुश्री माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1. अर्जित अवकाश . . 175
   अर्द्धवेतन अवकाश . . 125
   योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 175 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

$$\text{अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{30} \times 125$$

क्र. D-2947-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनाक 31 अक्टूबर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-3379, दिनांक 10 दिसम्बर 2020 निरस्त किया जाता है.

क्र. D-2949-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस-ब(एक)-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार श्री मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 272
   अर्द्धवेतन अवकाश . . 28
   योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 272 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

$$\text{अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{30} \times 28$$

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 4 जुलाई 2023

क्र. अवकाश-1001.—श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 21 से 24 जून 2023 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. 2817-स्था.-2023.—श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 19 जून से 7 जुलाई 2023 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 व 18 जून 2023 एवं अंत में दिनांक 8 व 9 जुलाई 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2022

क्र. C-5957.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट की पदोन्नति एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्यायिक) के पद पर, वेतनमान वेतनबैंड रुपये 9300+34800+ ग्रेड पे रुपये 4800) (7वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100—155800) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त, कॉलम नंबर (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें:—

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विश्वास जोशी, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	रिक्त पद पर
2	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ ग्वालियर	पारिणामिक रिक्त पद पर
3	श्री एन. के. हत्तीमारे, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर
4	श्री प्रवीण नारायण ताम्बोली, सीनि. ज्युडि. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर
5	श्री विजय कुमार परदेशी, सीनि. ज्युडि. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर
6	श्री संजय चित्रकार, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री विजय कुमार पवार, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ इन्दौर.	खण्डपीठ इन्दौर	पारिणामिक रिक्त पद पर
8	श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, सीनि. ज्युडि. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर
9	श्री चंद्रकान्त पुरंदरे, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	खण्डपीठ इन्दौर	पारिणामिक रिक्त पद पर
10	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, सीनि. ज्युडि. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर
11	श्री प्रीति गाड़े, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर
12	श्री नंदलाल सिंह, सीनि. ज्युडि. असि., मुख्यपीठ जबलपुर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर
13	श्री एच. पी. अग्रवाल, सीनि. ज्युडि. असि., खण्डपीठ ग्वालियर.	मुख्यपीठ जबलपुर	पारिणामिक रिक्त पद पर

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.